

राजस्थान सरकार
सार्वजनिक निर्माण विभाग

आदेशित हुन नमिनकरा का. वि. विभाग
राजस्थान, जयपुर
1-अनुपत्ता प्रथम/ए
2-पत्र प्राप्त 752
3-दिनांक 28/09/21
4-दस्तावेजी सं.

कमांक प. 1(14)सा.नि/21(Rk-00103)

जयपुर, दिनांक:

27 SEP 2021

आदेश

राजस्थान अभियांत्रिकी सेवायें (भवन एवं पथ) नियम, 1954 के नियम 24 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर नियमित रूप से नियुक्त निम्नांकित अधिशापी अभियंता (सिविल) को वर्ष 2021-22 में इनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि से वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर अधीक्षण अभियंता(सिविल) के पद पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

कमांक	नाम	रिक्ति की उपलब्धता की दिनांक
1	श्री धनपत सिंह (अनु० जनजाति)	1.4.21
2	श्री विन्द्रा सिंह	31.5.21
3	श्री विमल कुमार जैन	1.7.21
4	श्री रमेश कुमार माथुर	1.8.21
5	श्री संगीत कुमार	1.8.21
6	श्री अशोक कुमार तंवर	1.9.21
7	श्री महेन्द्र कुमार कौशिक	1.9.21
8	श्री शिशपाल सिंह	1.10.21
9	श्री विनीत गुप्ता	1.1.22

श्री अमृत लाल देवपाल (अनुसूचित जाति) के 01.06.2002 से पूर्व दो संतान थी। तीसरी संतान 2007 में होने के कारण इन्हे प्रथम बार पदोन्नति हेतु योग्य नहीं पाया गया।

श्री अशोक कुमार (अनुसूचित जाति) को अपराधिक प्रकरण संख्या 231/20 में कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक: 04.11.2020 द्वारा निलम्बित किये जाने के कारण समिति ने इनके चयन की सिफारिश बन्द लिफाफे में रखे जाने की अभिशंषा करती हैं।

श्री विगल कुमार शर्मा को सी.सी.ए. नियम 16 के अन्तर्गत दिनांक 05.10.2020 को आरोप पत्र प्रसारित किये जाने के कारण समिति इनके चयन की सिफारिश बन्द लिफाफे में रखे जाने की अभिशंषा करती हैं।

श्री आलोक मालवीय को कार्मिक विभाग आदेश दिनांक: 18.06.2018 द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि अरांचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण समिति ने इनको पदोन्नति हेतु योग्य नहीं पाया।

CS

श्री अजय चौधरी का सेवा अभिलेख अपूर्ण होने के कारण इनके लिये एक पद रिक्त रखते हुए इनकी पदोन्नति का प्रकरण आस्थगित (Defer) किये जाने का निर्णय किया गया ।


आज्ञा से,



(ब्रिजेन्द्र सिंह परमार)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा.नि. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सा.नि. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. मुख्य अभियंता एवं अति. सचिव, सा.नि.वि. राजस्थान, जयपुर।
7. संबंधित अधिकारीगण।
8. रक्षित पत्रावली।


(सज्जन कुमार) 8/2024
अनुभागाधिकारी


P.T.O.

संयुक्त शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग के आदेश क्रमांक: प0 1 (14) सानि/ 21/(आरके-00103) दिनांक 27.09.2021 की प्रति वास्ते अधिशाषी अभियन्ता (सिविल) से अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति वर्ष 2021-22 के सम्बंध में

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: प0 7-2549(एसई)/अनु0प्रथम/ए/2021/प्रे0-752 दिनांक: 28.09.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सानिवि राज0, जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सानिवि, राज0, जयपुर ।
3. प्रबन्ध निदेशक, आर.एस.आर.डी.सी., जयपुर ।
4. मुख्य अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर ।
5. अति0 मुख्य अभियन्ता सा.नि.वि., संभाग, समस्त ।
6. अति0 मुख्य अभियन्ता (विद्युत), सानिवि जयपुर/जोधपुर ।
7. अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि., वृत्त-समस्त मय विद्युत/यांत्रिक ।
8. निजी सचिव मुख्य अभियन्ता एवं अति0 सचिव/व0निजी सहायक मुख्य अभियन्ता पीएमजीएसवाई./क्यू.सी./एन.एच./भवन/विद्युत/वित्तीय सलाहकार /मुख्य वास्तुविद/अति0 मुख्य अभियन्ता (पीपीपी)/तकनीकी सहायक प्रथम/ अधीक्षण अभियन्ता (जांच) अधिशाषी अभियन्ता (मुख्यालय)/संयुक्त विधि परामर्शी ।
9. सम्बंधित अधिकारी ।
10. निजी /रक्षक पत्रावली


(आरिफ मोहम्मद खान)

अधीक्षण अभियन्ता एवं तक0 सहा0प्रथम
सार्वजनिक निर्माण विभाग राज0 जयपुर